रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082026-275648
CG-DL-E-21082026-275648

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948
No. 232] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आईपीएचडब्ल्यू प्रभाग)

योजना अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2026

विषय: मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस)

फा. सं. W/11/2026- आईपीएचडब्ल्यू.—

1 पृष्ठभूमि

1.1 प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया विजन ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को 7 गुना और निर्यात को 11 गुना आगे बढ़ाया हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र विशेष रूप से दूर-दराज के गांवों के युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए एक प्रमुख नियोक्ता के रूप में भी सामने आया है। कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक ही जगह पर 5,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते हैं, और कुछ जगहों पर तो यह संख्या 20,000 तक पहुँच जाती है।

1.2 यह वृद्धि मोबाइल फोन विनिर्माण में और भी अधिक प्रमुख है। "डीजल ईंधन" और "कटें हीरे" को पीछे छोड़ते

हुए, स्मार्टफोन वर्ष 2025 में सबसे बड़े निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के रूप में उभरा है। यह हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रदर्शन है।

1.3 विकास की मौजूदा रफ़्तार को बनाए रखने और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना शुरू की जा रही है।

1. मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस)

यह योजना भारत में मोबाइल फ़ोन के विनिर्माण और भारतीय मोबाइल फ़ोन ब्रांडों को सहारा देने के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन) के रूप में राजकोषीय सहायता प्रदान करेगी।

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को और मज़बूत करके और घरेलू स्तर पर ज़्यादा वैल्यू एडिशन (DVA) व मज़बूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं के ज़रिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है। यह योजना भारतीय मोबाइल ब्रांड का निर्माण करेगी और रोजगार पैदा करेगी।

3. बजट परिव्यय

यह स्कीम बजट के दायरे में सीमित है और इस योजना का बजटीय परिव्यय 62,500 करोड़ रुपये होगा, जिसमें प्रशासनिक शुल्क भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत दो लक्षित खंडो के लिए प्रोत्साहन परिव्यय निधि की आवश्यकता और स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर आपस में परिवर्तनीय होगा।

4. लक्ष्य खंड (टीएस)

इस योजना के तहत दो लक्ष्य खंड होंगे:

लक्ष्य खंड 1 (टीएस 1): मोबाइल फोन निर्माण को प्रोत्साहित करना

लक्ष्य खंड 2 (टीएस 2): भारतीय मोबाइल फोन ब्रांडों को सहायता

5. योजना की अवधि

6.1 योजना की अवधि 5 वर्ष यानी वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक होगी। टीएस 2 के तहत आवेदक को 1 वर्ष की परिपक्वता अवधि दी जा सकती है।

6. **टीएस 1:** मोबाइल फोन विनिर्माण को प्रोत्साहित करना

7.1 **पात्रता**

वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपये के बिक्री वाले, भारत में पंजीकृत ईएमएस सहित मोबाइल फोन विनिर्माता इस योजना के तहत पात्र होंगे।

मौजूदा ब्रांडों के लिए वार्षिक सीमा*: किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र बनने के लिए, कोई भी मौजूदा ब्रांड वित्तीय वर्ष 2025-26 की कुल बिक्री के अलावा हर वर्ष 5,000 करोड़ रुपये की न्यूनतम सीमा बिक्री को पूरा करेगा।

5 वर्षों के लिए ऐसी सीमाएँ तालिका में बताए अनुसार होंगी:

वित्तीय वर्ष	**वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल बिक्री के अलावा सीमा बिक्री (करोड़ रुपये में)**
2026-27	5,000
2027-28	10,000
2028-29	15,000
2029-30	20,000
2030-31	25,000

***मौजूदा ब्रांड:** वे ब्रांड जिनके पास वित्तीय वर्ष 2025-26 में घरेलू विनिर्माण और बिक्री है।

एक नए ब्रांड के लिए पात्रता: नया ब्रांड भारत में 10,000 करोड़ रुपये की कुल वार्षिक बिक्री हासिल करने के बाद ही योजना के तहत पात्र होगा। प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए, उन्हें साल दर साल 5,000 करोड़ रुपये की सीमा बिक्री की आवश्यकता को पूरा करना होगा।

7.2 गणना के लिए आधार

वित्तीय वर्ष 2026-27 (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) पहला प्रदर्शन वर्ष होगा।

बेसलाइन बिक्री: एक वित्तीय वर्ष के लिए बेसलाइन बिक्री पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ब्रांड के टारगेट सेगमेंट प्रोडक्ट की कुल घरेलू बिक्री से 15% अधिक होगी। इसलिए, बेसलाइन बिक्री की प्रकृति चलती आधार होगी।

पात्र बिक्री: किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए पात्र बिक्री की गणना ब्रांड के लिए उस वित्तीय वर्ष की टारगेट सेगमेंट की कुल बिक्री से बेस लाइन बिक्री को घटाकर की जाएगी।

पात्र बिक्री, बेसलाइन बिक्री और सीमा बिक्री की गणना ब्रांड के आधार पर की जाएगी।

7.3 प्रोत्साहन का आधार

भारत में विनिर्मित मोबाइल फोनों की पात्र बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। किसी भी वित्तीय वर्ष कि प्रोत्साहन मात्रा निकलने के लिए , पात्र बिक्री से प्रोत्साहन दर को गुणा किया जाएगा, जो सीमा मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगी।

प्रोत्साहन दर: प्रोत्साहन में नीचे दिए गए दो भाग शामिल होंगे:

क. पात्र बिक्री का हिस्सा, यानी वित्तीय वर्ष 2025-26, वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2023-24 की औसत बिक्री और किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए बेसलाइन बिक्री के बीच के अंतर तक, को क्रमशः घटते दर में प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रोत्साहन दर नीचे बताए अनुसार होगी:

वित्तीय वर्ष	**प्रोत्साहन दर** (%)
2026-27	2.75
2027-28	2.75
2028-29	2.5
2029-30	2.5
2030-31	2.25

ख. उपर्युक्त पैरा (क) की बिक्री के अलावा शेष पात्र बिक्री को भी क्रमशः घटती दर से प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस मामले में प्रोत्साहन दर नीचे बताए अनुसार होगा:

वित्तीय वर्ष	**प्रोत्साहन दर** (%)
2026-27	5
2027-28	5

2028-29	4.5
2029-30	4.5
2030-31	4

घरेलू सोर्सिंग पर अतिरिक्त प्रोत्साहन: प्रमुख घटकों/सब-असेंबली जैसे डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल, एनक्लोजर, बैटरी (सेल सहित), और यूएसबी केबल(कनेक्टर सहित) की घरेलू सोर्सिंग के लिए पात्र बिक्री पर 1.5% तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा।

एक आवेदक इस अतिरिक्त प्रोत्साहन का दावा तभी करने का पात्र होगा जब ऐसे घटक/सबअसेंबली एक वित्तीय वर्ष में बेची गई कुल मोबाइल फोन इकाइयों के न्यूनतम 25% के लिए स्थानीयकृत किया गया हों। इस अतिरिक्त प्रोत्साहन का भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

विभिन्न घटकों/सब-असेंबली की घरेलू सोर्सिंग के लिए उपलब्ध अतिरिक्त प्रोत्साहन निम्नलिखित दर से होगा:

उप-असेंबली /घटक	**घरेलू सोर्सिंग के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दर**
डिस्प्ले मॉड्यूल	0.30%
कैमरा मॉड्यूल	0.30%
एनक्लोजर	0.50%
बैटरी (सेल सहित)	0.20%
यूएसबी केबल (कनेक्टर सहित)	0.20%
कुल	**1.50%**

प्रोत्साहन सीमा: ब्रांड-वार प्रोत्साहन सीमा आवेदक या ब्रांड द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिबद्धता के आधार पर निर्धारित की जाएगी। प्रोत्साहनों का संवितरण संचयी वार्षिक प्रतिबद्धता या योजना के लिए समग्र बजटीय परिव्यय, जो भी कम हो, तक सीमित होगा।

8. <u>**टीएस 2:**</u> भारतीय मोबाइल फोन ब्रांडों को सहायता

यह योजना इस लक्ष्य खंड के अंतर्गत राजकोषीय के साथ गैर- राजकोषीय सहायता प्रदान करेगी।

8.1 पात्रता

वित्त वर्ष 2025-26 में न्यूनतम 1,000 करोड़ रुपये के बिक्री वाले, भारत में पंजीकृत, ईएमएस सहित मोबाइल फोन विनिर्माता इस योजना के तहत पात्र होंगे।

इस लक्ष्य खंड के तहत भारतीय ब्रांडों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

क. ब्रांड को भारत में पंजीकृत/निगमित किया जाना चाहिए।

ख. ब्रांड के लिए बौद्धिक संपदा (आईपी) और ट्रेडमार्क भारतीय क्षेत्र में रखे जाने चाहिए।

ग. ब्रांड का प्रबंधन संबंधी नियंत्रण भारतीय नागरिक के पास रहे ।

घ. भारतीय ब्रांड का दावा करने वाली इकाई में भारतीय नागरिक की हिस्सेदारी 51% से अधिक होनी चाहिए।

ङ. उसके पास भारत में इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास और डिजाइन क्षमताएं हों।

वार्षिक सीमा: भारतीय ब्रांडों के लिए कोई न्यूनतम सीमा बिक्री आवश्यक नहीं होगी।

योजना के तहत पात्रता के लिए भारतीय ब्रांडों का चयन अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा किया जाएगा।

8.2 गणना के लिए आधार

वित्तीय वर्ष 2026-27 प्रथम प्रदर्शन वर्ष होगा। यदि आवेदक परिपक्वता अवधि का विकल्प चुनता है, तो वित्तीय वर्ष 2027-28 प्रथम प्रदर्शन वर्ष होगा।

बेसलाइन बिक्री: बेसलाइन बिक्री वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान की बिक्री होगी। यदि आवेदक परिपक्वता अवधि का विकल्प चुनता है, तो बेसलाइन बिक्री वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान की बिक्री होगी।

पात्र बिक्री: किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए पात्र बिक्री की गणना उस ब्रांड के लिए उस वित्तीय वर्ष की कुल बिक्री से बेसलाइन बिक्री को घटाकर की जाएगी।

पात्र बिक्री और बेसलाइन बिक्री की गणना ब्रांड के आधार पर की जाएगी।

8.3 प्रोत्साहन का आधार

प्रोत्साहन: भारत में विनिर्मित मोबाइल फोन की पात्र बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। किसी भी वित्तीय वर्ष कि प्रोत्साहन मात्रा निकलने के लिए , पात्र बिक्री से प्रोत्साहन दर को गुणा किया जाएगा ।

प्रोत्साहन दर: पात्र बिक्री पर **@5%** प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

घरेलू सोर्सिंग पर अतिरिक्त प्रोत्साहन: अतिरिक्त प्रोत्साहनों की गणना के मानदंड दोनों लक्षित खंडों के लिए समान होंगे। (पैरा **7.3** देखें)

डिजाइन और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) पर अतिरिक्त प्रोत्साहन: उत्पाद के भारतीय डिजाइन और अनुसंधान एवं विकास के लिए पात्र बिक्री पर **@3%** अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

गैर- राजकोषीय सहायता

एक भारतीय ब्रांड के निर्माण के लिए, यह जरूरी है कि राजकोषीय और गैर- राजकोषीय दोनों उपाय मिलकर काम करें। सरकार आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक गैर- राजकोषीय उपाय कर सकती है। अधिकार प्राप्त समिति उपयुक्त गैर- राजकोषीय उपायों की सिफारिश करेगा।

9. अन्य पात्रता

कई आवेदन करने वाला कोई भी आवेदक पात्र नहीं होगा।

योजना के अंतर्गत पात्रता का किसी अन्य योजना के अंतर्गत पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा इसके विपरीत भी यही लागू होगा।

10. अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया

भारत में ईएमएस सहित मोबाइल फोन विनिर्माता कंपनियों को प्रोत्साहन वितरित किया जाएगा। हालांकि, पात्र बिक्री, सीमा बिक्री और बेसलाइन बिक्री की प्राप्ति के लिए गणना, ब्रांड के लिए की जाएगी। । यदि कोई ब्रांड अपने फोन को एक से अधिक ईएमएस कंपनी के माध्यम से विनिर्मित कर रहा है, तो ब्रांड बेसलाइन बिक्री, सीमा बिक्री और योग्य बिक्री के लिए आवश्यक प्रमाणन प्रदान करेगा।

अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन त्रैमासिक आधार पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है।

11. नोडल एजेंसी

यह योजना एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

पीएमए सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने और समय-समय पर एमईआईटीवाई द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। योजना दिशानिर्देशों में पीएमए के विस्तृत कामकाज और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

मोबाइल फोन विनिर्माण योजना के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए, पीएमए, अन्य *बातों के साथ-साथ,* निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:

क. योजना के तहत आवेदनों का मूल्यांकन और सहायता के लिए पात्रता का सत्यापन

ख. योजना के तहत प्रोत्साहन के वितरण के लिए पात्र दावों की जांच

ग. योजना के तहत कंपनियों के लिए वृद्धिशील निवेश और विनिर्मित वस्तुओं की पात्र बिक्री सहित योजना की प्रगति और प्रदर्शन के बारे में डेटा का संकलन

12. अधिकार प्राप्त समिति (ईसी)

सचिव, एमईआईटीवाई की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) होगी । समिति में नीति आयोग, आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, डीपीआईआईटी और डीजीएफटी के सदस्य शामिल होंगे, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं होंगे।

ईसी योजना के तहत पीएमए द्वारा पात्र पाए गए आवेदनों पर विचार करेगा और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगी।

ईसी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संवितरण के लिए पीएमए द्वारा जांच और सिफारिश किए गए दावों पर विचार करेगी और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगी।

ईसी योजना के अंतर्गत पात्र कंपनियों के प्रदर्शन जिसमे उनके रोजगार सृजन, उत्पादन और मूल्यवर्धन आदि के संबंध में समय-समय पर समीक्षा करेगी।

ईसी योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी संशोधन की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए कर सकती है।

मोबाइल फ़ोन सेक्टर में तकनीकी प्रगति के आधार पर, EC टारगेट सेगमेंट के तहत नए/ उन्नत प्रोडक्ट को शामिल करने पर विचार कर सकता है।

योजना के दिशा-निर्देशों में ईसी के विस्तृत गठन, कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

13. योजना दिशानिर्देश

योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशा-निर्देश इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

14. योजना और दिशानिर्देशों में संशोधन

योजना और इसके दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा सकती है और दोनों लक्षित खंडों के तहत कवर किए गए उत्पाद, लागू प्रोत्साहन दरों, योजना की अवधि, बिक्री, परिपक्वता अवधि, या योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य मामले के संबंध में समय-समय पर ई सी की सिफारिश और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन पर संशोधन किया जा सकता है।

सुशील पाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW Division)

SCHEME NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2026

Subject: Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS)

F. No. W/11/2026-IPHW.—

1. BACKGROUND

1.1. Prime Minister's Make in India vision has propelled electronics manufacturing to grow 7 times and exports to grow 11 times since FY 2014-15. The electronics manufacturing sector has also emerged as a major employer, especially for young men and women from far flung villages. Several manufacturing plants employ more than 5,000 people at a single location, with employment at some facilities reaching 20,000.

1.2. This growth is even more prominent in mobile phone manufacturing. Smartphones have emerged as the single largest exported product in 2025, surpassing "diesel fuel" and "cut diamonds". This is a big achievement for our country and a clear demonstration of PM's vision of Make in India, Atmanirbhar Bharat and Swadeshi.

1.3. To sustain the current growth momentum and maintain competitiveness, Mobile Phone Manufacturing Scheme is being launched.

2. MOBILE PHONE MANUFACTURING SCHEME (MPMS)

The Scheme shall provide fiscal support in the form of production-linked incentives for the manufacturing of mobile phones in India and to support Indian mobile phone brands.

3. OBJECTIVE

The Scheme aims to increase global competitiveness by further enhancing the scale, deepening the mobile manufacturing supply chain through higher domestic value addition (DVA) and stronger domestic manufacturing capabilities. The Scheme will also build Indian mobile brands and generate employment.

4. BUDGET OUTLAY

The scheme is budget limited with budgetary outlay of ₹ 62,500 crores, including administrative charges. The incentive outlay under the scheme shall be fungible among the two target segments based upon the fund requirement and response received under the scheme.

5. TARGET SEGMENTS (TS)

There shall be two target segments under the scheme:

Target Segment 1 (TS1): Incentivising mobile phone manufacturing

Target Segment 2 (TS2)**:** Supporting Indian mobile phone brands

6. TENURE OF THE SCHEME

The scheme tenure shall be 5 years, i.e. from FY 2026-27 to FY 2030-31. Applicants under TS2 may be granted a gestation period of 1 year.

7. TS1: INCENTIVIZING MOBILE PHONE MANUFACTURING

7.1. Eligibility

The mobile phone manufacturers, including EMS, registered in India having a minimum turnover of ₹ 10,000 crore in FY2025-26 shall be eligible under the scheme.

Annual Thresholds for Existing Brands*: To become eligible for claiming the incentive for a particular financial year, any existing brand shall meet the minimum threshold sales of ₹ 5,000 crore every year over and above the total sales of FY 2025-26.

Such thresholds for 5 years shall be as mentioned in the table:

Financial Year (FY)	**Threshold Sales over & above the Total Sales in FY 2025-26 (in ₹ cr)**
2026-27	5,000
2027-28	10,000
2028-29	15,000
2029-30	20,000
2030-31	25,000

***Existing Brands:** Those brands which have domestic manufacturing and sales in FY 2025-26.

Eligibility for a new brand: The new brand shall become eligible under the scheme only after it has achieved total annual sales of ₹10,000 crore in India. To avail the incentive, it would have to fulfil the requirement of threshold sales of ₹ 5,000 crore year over year.

7.2. Basis for Computation

FY 2026-27 (1st April 2026 to 31st March 2027) shall be the first performance year.

Baseline Sales: Baseline Sales for a financial year shall be the total domestic sales of target segment product for the brand in preceding financial year plus an increment of 15%. Therefore, the baseline sales shall be moving in nature.

Eligible Sales: Eligible Sales for a particular Financial Year (FY) shall be calculated by subtracting the Baseline Sales from total target segment sales of that FY for the brand.

The computation of Eligible Sales, Baseline Sales and Threshold Sales shall be calculated on a brand-wise basis.

7.3. Basis of Incentives

The incentives shall be provided on Eligible Sales of mobile phones manufactured in India. The quantum of incentive for any FY shall be Eligible Sales multiplied by incentive rates, subject to meeting the threshold criteria.

Incentive Rate: The incentive shall comprise two parts as below:

a) The part of Eligible Sales, i.e. upto the difference between the average sale of FY 2025-26, FY 2024-25 and FY 2023-24 and the Baseline Sales for a particular FY, shall be incentivized in a tapered manner.

Incentive rate shall be as mentioned below:

FY	Incentive rate (in %)
2026-27	2.75
2027-28	2.75
2028-29	2.5
2029-30	2.5
2030-31	2.25

b) The remaining Eligible Sales, over and above the sales of para (a) above, shall also be incentivized in a tapered manner.

Incentive rate in this case shall be as mentioned below:

FY	Incentive rate (in %)
2026-27	5
2027-28	5
2028-29	4.5
2029-30	4.5
2030-31	4

Additional incentives on domestic sourcing: Additional incentives of upto 1.5% shall also be provided on Eligible Sales for domestic sourcing of key components/ sub-assemblies such as display module, camera module, enclosure, batteries (including cells), and USB cables (including connectors)

An applicant would be eligible to claim this additional incentive only if such components/ sub-assemblies are localized for a minimum of 25% of the total mobile phone units sold in a financial year. This additional incentive would be paid on a pro-rata basis.

Additional incentive available for domestic sourcing of various components/sub-assemblies would be at the rate as below:

Sub-Assemblies / Components	**Additional Incentive Rate for domestic sourcing**
Display Module	0.30%
Camera Module	0.30%
Enclosure	0.50%
Batteries (including cells)	0.20%
USB cables (including connectors)	0.20%
Total	**1.50%**

Incentive Ceiling: Brand-wise incentive ceiling shall be determined based on the annual commitment submitted by the applicant or brand. The disbursement of incentives would be limited to cumulative annual commitment or the overall budgetary outlay for the scheme, whichever is lower.

8. TS2: SUPPORTING INDIAN MOBILE PHONE BRAND

The Scheme shall extend fiscal as well as non-fiscal support under this target segment.

8.1. Eligibility:

Mobile phone manufacturers, including EMS, registered in India having a minimum turnover of ₹ 1,000 Cr in FY2025-26 shall be eligible under the scheme.

Indian brands under this target segment must satisfy the following conditions:

a) The brand should be registered/incorporated in India.

b) Intellectual Property (IP) and trademark for the brand should be held within India.

c) Management control of the brand lies with Indian citizens

d) Indian citizen should have more than 51% shareholding in the entity claiming Indian Brand

e) In-house R&D and design capabilities in India.

Annual Thresholds: There shall NOT be any minimum Threshold Sales requirement for Indian brands.

Selection of the Indian brands for eligibility under the scheme shall be done by the Empowered Committee (EC).

8.2. Basis for Computation

FY 2026-27 shall be the first performance year. In case applicant opts for gestation period, then FY 2027-28 shall be the first performance year.

Baseline Sales: Baseline Sales shall be the sales during FY 2025-26. In case, applicant opts for a gestation period, then the Baseline Sales shall be sales during FY 2026-27.

Eligible Sales: Eligible Sales for a particular Financial Year (FY) shall be calculated by subtracting the Baseline Sales from total sales of that FY for that brand.

The computation of Eligible Sales and Baseline Sales shall be calculated on a brand-wise basis.

8.3. Basis of Incentives

Incentive: The incentive shall be provided on Eligible Sales of mobile phones manufactured in India. The quantum of incentive for any FY shall be Eligible Sales multiplied by incentive rates.

Incentive Rate: Incentives shall be provided @5% on the Eligible Sales.

Additional incentives on domestic sourcing: The criteria for computation of additional incentives shall be same for both the target segments. (refer para 7.3)

Additional incentives on design and Research & Development (R&D): An additional incentive @3% shall also be given on Eligible Sales for Indian design and R&D of the product.

Non-Fiscal Support

For building an Indian brand, it is imperative that both fiscal and non-fiscal measures work in tandem. The Government may take necessary non-fiscal measures as and when required. The Empowered Committee shall recommend appropriate non-fiscal measures.

9. OTHER ELIGIBILITY

Any applicant making multiple applications shall NOT be eligible. Eligibility under the scheme shall not affect eligibility under any other Scheme and vice-versa.

10. APPROVAL AND DISBURSEMENT PROCESS

Incentives shall be disbursed to the mobile phone manufacturers including EMS companies in India. However, the computation for achieving Eligible Sales, Threshold Sales and Baseline Sales shall be worked out for the brand. In case a brand is getting their phones manufactured through more than one EMS company, then the brand shall provide necessary certification for Baseline Sales, Threshold Sales and Eligible Sales.

The approval and disbursement process shall be dealt in Scheme guidelines. Applicant can submit their claim on a quarterly basis subject to meeting the eligibility criteria.

11. NODAL AGENCY

The Scheme shall be implemented through a Project Management Agency (PMA).

PMA shall be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by MeitY from time to time. Detailed functioning and responsibilities of the PMA will be elaborated in the Scheme Guidelines.

For carrying out activities related to the implementation of Mobile Phone Manufacturing Scheme, PMA would, *inter-alia*, be responsible for:

a) Appraisal of applications and verification of eligibility for support under the Scheme

b) Examination of claims eligible for disbursement of incentive under the Scheme

c) Compilation of data regarding progress and performance of the Scheme including Incremental Investment and Eligible Sales of Manufactured goods for companies under the Scheme

12. EMPOWERED COMMITTEE (EC)

An Empowered Committee (EC) shall be an inter-ministerial committee chaired by Secretary MeitY. The Committee will consist of members from NITI Aayog, Department of Economic Affairs,

Department of Expenditure, Department of Revenue, DPIIT and DGFT not below the rank of Joint Secretary.

The EC will consider applications, as found eligible by the PMA under the Scheme, and recommend for approval of Competent Authority.

The EC will consider claims, as examined and recommended by the PMA, for disbursement as per the laid down procedure, and recommend for approval of Competent Authority.

The EC will conduct a periodic review of eligible companies with respect to their performance under the Scheme including employment generation, production and value addition, etc.

The EC may recommend any modifications as deemed appropriate for smooth implementation of the scheme for approval of the Competent Authority.

Based on the technological advancement in the mobile phone sector, EC may consider for inclusion of new/advanced products under the target segment.

Detailed constitution, functioning and responsibilities of the EC will be elaborated in the Scheme Guidelines.

13. SCHEME GUIDELINES

The Scheme guidelines for implementation of the Scheme will be issued by the Ministry of Electronics and Information Technology separately.

14. AMENDMENT IN SCHEME AND GUIDELINES

The Scheme and its guidelines may be reviewed and amended w.r.t. products covered under both target segments, applicable incentive rates, tenure of the scheme, sales, gestation period, or any other matter considered necessary for effective implementation of the Scheme, from time-to-time on recommendation of EC and the approval of the Minister of Electronics and Information Technology.

SUSHIL PAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.21 16:14:16 +05'30'